मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 2000 (श्रावण 6, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अमर अग्रवाल, नरोत्तम मिश्रा, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, प्रदेश में चल रहे बन्दोबस्त कार्य को बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, महेश तिवारी, रमाकांत तिवारी, सदस्य, सीधी जिले के भैंसवाही निवासी एक अनुसूचित जाति परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्रीमती शबनम मौसी, सदस्य, शहडोल जिले में मलेरिया से अनेक आदिवासियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(4) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर (डाला), नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, छत्तीसगढ क्षेत्र में अपेक्स संस्था द्वारा धान की खरीदी न किये जाने की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री विधान मिश्रा, अजय विश्नोई, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, प्रदेश में सालबीज खरीदी में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, तेज सिंह सेंधव, सदस्य, कांकेर जिले में मक्का खरीदी न होने से दो आदिवासियों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, भूपेन्द्र सिंह, मुन्ना सिंह, सदस्य, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में हैजे के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खण्डवा जिले के खालवा तथा हरसूद आदिवासी क्षेत्र में शराब की अवैध दुकानें संचालित होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, सुनील नायक, लालसिंह, सदस्य, ग्वालियर के न्यूरो सर्जरी चिकित्सा विभाग में एक मरीज का गलत आपरेशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के बीड़ी श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान न होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के मदनपुरगढ में अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री लालसिंह, नरेन्द्र बिरथरे, मुन्ना सिंह, सदस्य, रायगढ एवं जशपुर जिलों में सर्पदंश एवं आकाशीय बिजली गिरने से अनेक आदिवासियों की मौत होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम सिंघारन से एक युवक का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री अनूप मिश्रा, बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य, भोपाल शहर में नगर निगम द्वारा प्रदूषित पेयजल का प्रदाय किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, लालसिंह, सदस्य, विदिशा जिले के तहसील कार्यालय ग्यारसपुर में पदस्थ एक कर्मचारी द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, धार जिले के ग्राम मुरार के दो आदिवासियों को प्रशासन द्वारा परेशान किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, प्रदेश के खण्डवा, विदिशा एवं रायसेन जिलों में हैजे के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, लीलाराम भोजवानी, सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, रायपुर, राजनांदगांव एवं बैतूल जिलों में उल्टी-दस्त से हुई मौतों की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बाबूलाल गौर, सदस्य, दुर्ग जिले के भिलाई इस्पात संयंत्र में दुर्घटना से तीन श्रमिकों की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, तेजसिंह सेंधव, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, महेश तिवारी, प्रभाकर सिंह, सदस्य, सीधी जिले में खनिज संपदा का अवैधानिक दोहन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

निर्धारित समय	## 3. अशासकीय संकल्प
	(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
20 मि.	"सदन का यह मत है कि जिन व्यक्तियों एवं पशुओं की बिजली करंट लगने से मृत्यु हो जाती है, उनको भी आर.बी.सी. में संशोधन करके मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाय".
	(2) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
40 मि.	"सदन का यह मत है कि देवास में आरंभ की गई भू-जल संवर्धन मिशन के तहत रूफवाटर हारवेस्टिंग तकनीक प्रदेश के समस्त जिलों में भू-जल संवर्धन के लिए लागू की जाय".
	(3) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
30 मि.	"सदन का यह मत है कि इंदिरासागर परियोजना से डूब प्रभावित लोगों को कमांड क्षेत्र में बसाया जाय तथा ग्राम चांदेल के पास की उद्वहन सिंचाई से खंडवा और पुनासा विकासखंडों को सिंचित किया जाय".
	(4) श्रीमती शबनम मौसी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -
1 घन्टा	"सदन का यह मत है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले सभी बेरोजगारों को गुमटी/भूखंड/दुकानों का पट्टा दिया जाय".

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 27 जुलाई, 2000